मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१६

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ३५ का संशोधन.

५. धारा ४० का स्थापन.

६. धारा ४१ का स्थापन.

७. धारा ४५ का संशोधन.

८. धारा ४७-क का लोप.

९. धारा ४८-ख का स्थापन.

१०. धारा ५३ का संशोधन.

११. धारा ७३ का स्थापन.

१२. धारा ७६-क का स्थापन.

१३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१६

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (११) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(११) "**सम्यक् रूप से स्टाम्पित**" से जब वह, किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि इस अधिनियम की अनुसूची १ एवं अनुसूची १-क के अनुसार प्रभार्य समुचित रकम से अन्यून रकम का स्टाम्प उस लिखत पर लगा हुआ है तथा ऐसा स्टाम्प भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है;";

(दो) खण्ड (११) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(११-क) "**ई-स्टाम्प अथवा इलैक्ट्रानिक स्टाम्प**" से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करने के लिए सृजित कोई इलैक्ट्रानिक रिकार्ड अथवा कागज पर उसकी छाप;";

(तीन) खण्ड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१२-क) "**परिबद्ध**" से अभिप्रेत है, लिखत को इस संदर्भ में उस पर किए गए पृष्ठांकन के साथ लोक अधिकारी की अभिरक्षा में लेना;";

(चार) खण्ड (१६-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(१६-ख) "**बाजार मूल्य**" से किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित रीति में इस हेतु सशक्त अधिकारी द्वारा अवधारित वह कीमत, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख को यदि खुले बाजार में विक्रय किया जाता तो उस संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, अथवा लिखत में उपदर्शित प्रतिफल, जो भी लागू हो;

"(१६-ग) "**बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों**" से अभिप्रेत है, राज्य में विभिन्न ग्रामों, निवेश क्षेत्रों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्यों की सूची;";